न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
पीठसीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 128/2019 प्रार्थना पत्र

लाला मीणा व अन्य

//बनाम//

दलीचन्द मीणा व अन्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रार्थना पत्र धारा आदेश 9 नियम 9 जा0दी0</u>

निर्णय दिनांक 03.03.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित हैं। तीन बार आवाज लगाई गई। उपस्थित नहीं। अतः विपक्षी सं. 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस में पृकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर मूल प्रार्थना पत्र प्र0सं0 163/2017 दिनांक 04/06/2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसको पुनः नम्बर पर लेने का प्रा0पत्र 04/07/2019 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें अनुस्थित रहने का कारण संतोषप्रद होने एवं प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि में पेश होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत वाद पुनः नम्बर पर लेने का स्वीकार किया जाता है। मूल वाद प्र0सं0 163/2017 पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। मूल वाद पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 29/04/2020 को पेश हो। यह प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । एवं मूल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हो।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 21:49:38 IST
Reason: SelfAttested